भा.कृ.अनु.प.– भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान,
ग्वालियर रोड,निकट पहूँज डैम, झाँसी– 284003

F.No. 3-5/Str./Rate Cont. of sheep & Goat/2016-17-2024-25 Dated: 28-08-2025

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भा.कृ.अनु.प.– भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (ग्रासलैण्ड) के प्रक्षेत्र पर स्थित भेड़–बकरी इकाई पर सरप्लस बकरा/बकरी एवं भेड़ (नर/मादा) के विक्रय हेतु सीलबन्द निविदायें एक वर्ष के वार्षिक अनुबन्ध के लिये आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक व्यक्ति जो अपनी निविदायें प्रस्तुत करना चाहते है वे अपनी निविदायें निर्धारित प्रारूप में भर कर निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजें। निविदायें दिनांक **19.09.2025** को अपरान्ह **1:00** बजे तक संस्थान में प्राप्त हो जानी चाहिये तथा निविदायें दिनांक **19.09.2025** को अपरान्ह **3:00** बजे समिति द्वारा निविदादाताओं के समक्ष समिति कक्ष में खोली जायेगी। निविदा हेतु धरोहर राशि रूपया 5000/– (रूपया पाँच हजार मात्र) है जो कि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, करारी शाखा(कोड–7477) आई.सी.ए.आर. यूनिट आई.जी.एफ.आर.आई., झाँसी** के नाम से देय होगा, जिसे संलग्न करना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि की स्थिति में किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। विवाद की स्थिति में संस्थान के निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा। उपरोक्त सम्पूर्ण जानकारी एवं नियम व शर्तें संस्थान की वेवसाइट https://igfri.org.in पर उपलब्ध है।

निविदा बन्द लिफाफे में सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार–भौतिक) के नाम से दिनांक **19.09.2025** तक अपरान्ह **1:00** बजे तक भेजी जा सकती है। निविदाकर्ता निविदा से सम्बंधित प्रारूप तथा नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह **10:00** से सायं **4:00** बजे तक भण्डार–भौतिक अनुभाग से प्राप्त कर सकते है।

शीघ्रता
28.08.2025

सहा. प्रशा. अधिकारी
(भंडार–भौतिक)
कृते निदेशक

प्रति लिपिः–

प्रभारी अधिकारी ए.के.एम.यू. से अनुरोध है कि संस्थान की वैवसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।

भेड–बकरी के वार्षिक अनुबन्ध हेतु नियम एवं शर्तें

निविदा की नियम एवं शर्तें:–

1. मात्र अतिरिक्त/सरप्लस भेड एवं बकरियों को समय–समय पर सफल निविदाकर्ता को निर्धारित दरों पर ही दिया जायेगा। अतिरिक्त भेडों एवं बकरियों की संख्या का निर्धारण प्रभारी द्वारा ही किया जायेगा।
2. भेड एवं बकरी ले जाने की व्यवस्था एवं खर्च सफल निविदाकर्ता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
3. सफल निविदाकर्ता को **रू. 15000** की सुरक्षा राशि डिमाड/सावदि जमा राशि एवं बैंक गारंटी के रूप में आदेश के कुल मूल्य के पक्ष में ICAR-Unit IGFRI, Jhansi के पक्ष में जमा करनी होगी।
4. संस्थान से भेड एवं बकरी ले जाने हेतु गेट पास सम्बंधित विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
5. गेट पास भेड एवं बकरियों के भुगतान होने के बाद ही जारी किया जायेगा।
6. भेड एवं बकरी के बेचने के उपरान्त सफल निविदाकर्ता का उन्हें तुरन्त उठाना पडेगा यदि धनराशि जमा करने के उपरान्त तुरन्त पशु को नही उठाया गया और पशु को कुछ नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदाकर्ता की स्वंय की होगी और संस्थान उसका कोई खर्च वहन नही करेगा। खरीदने के उपरान्त खरीदे गये पशु की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सफल निविदाकर्ता की होगी।
7. इच्छुक निविदाकर्ता को संलग्न वित्तीय बोली प्रारूप/प्रपत्र को भर कर सील कर संस्थान में भंडार–भौतिक में जमा करना है अथवा स्पीड पोस्ट से भेज सकते है।
8. प्रत्येक निविदाकर्ता को **धरोहर राशि के रूप में रू. 5000/–डी.डी./बैंक** ड्राफ्ट के माध्यम से **जमा** करनी होगी। असफल निविदाकर्ता की धरोहरराशि (EMD) अनुबंध होने के पश्चात वापस की जायेगी।
9. सफल निविदाकर्ता को अतिरिक्त/सरप्लस भेड एवं बकरियों की पूर्ण धनराशि केवल ATM Card/Debit card/D.D. के माध्यम से ही संस्थान के खाते में उसी दिन या अधिकतम तीन दिवस के अन्दर जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. निविदाकर्ता का दस्तावेज के रूप में **आधारकार्ड** ही स्वीकार किया जायेगा।
11. पंजीकृत निविदाकर्ता या उसके नामित व्यक्ति को ही प्रक्षेत्र परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
12. स्वस्थ/अस्वस्थ/कमजोर पशुओं के विक्रय हेतु संस्थान से समय समय पर सप्ताह में एक दिन (शुक्रवार) को सम्बन्धित अधिकारी /प्रभारी, भेंड बकरी इकाई पौध पशु सम्बन्धित विभाग, से ATM Card/Debit card/D.D. भुगतान करकें उठाने होंगे तथा आवश्यकता पडने पर दूरभाष/मोबाईल पर कभी भी इस कार्य के लिये आपको बुलाया जा सकता है। स्वस्थ/अस्वस्थ एवं कमजोर पशुओं को समय पर नही उठाये जाने के कारण जानवर की मृत्यु हो जाने पर उक्त जानवर की वुक वैल्यू (कीमत) ठेकेदार से नगद वसूली की जायेगी।
13. निविदाकर्ता /प्रतिनिधि को संस्थान के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार रखना होगा।
14. संस्थान के किसी कार्य में ठेकेदार की ओर से किसी तरह का व्यवधान/सम्पत्ति को नुकसान होने पर अनुबन्ध को निश्चित समय अबधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। ऐसे स्थिति मे जमा अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नुकसान की भरपाई निविदाकर्ता से नगद वसूल की जायेगीं।
15. सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा करायी जाने वाली अमानत/जमानत राशि रू. 15000/– मात्र का भुगतान अनुबन्ध की अवधि सन्तोषजनक व सुचारू रूप से पूरी होने के उपरान्त लौटायी जायेगी। कार्य समय पर पूरा नही होने की स्थिति मे अमानत/जमानत राशि को जब्त करते हुये अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जायेगा।
16. निविदाकर्ता/उसके प्रतिनिधि के द्वारा अनुबंध के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुंबन्धकर्ता की होगी। साथ ही, इस सम्बध मे संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।अन्य नियम व शर्ते निविदा मे दर्शाये अनुसार यथावत रहेगी।
17. निविदाकर्ता को कम से कम एक वर्ष के लिये अनुबंध किया जायेगा।

18. कमजोर एवं उम्रदराज पशुओं के लिये निम्नलिखित छूट दी जायेगी जो कि निम्नवत है।

19. कमजोर एवं उम्रदराज पशुओं के लिये निम्नलिखित छूट दी जायेगी जो कि निम्नवत है।

(अ) **नर पशुओं के लियेः–**

5. उम्र चार वर्ष से अधिक आयु के नर (बकरे एवं भेड) के दामों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के अनुसार छूट दी जायेगी।
6. बीमारी लाइलाज बीमारी होने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
7. शारिरिक दोषः
   (i) पिछले पैरों में दोष 30 प्रतिशत की छूट
   (ii) अगले पैरों में दोष 20 प्रतिशत की छूट
   (iii) अन्य शारिरिक दोष होने पर 10–20 की छूट
8. प्रजनन सम्बंधी समस्या
   (i) प्रजनन सम्बंधित स्थायी बीमारी होने पर 80 प्रतिशत की छूट
   (ii) असमान्य सीमेन होने पर 60 प्रतिशत की छूट
   (iii) लिविडों सम्बंधित दोष पर 50 प्रतिशत की छूट

(ब) **मादा पशुओं के लियेः–**

4. बीमारी लाइलाज बीमारी होने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

5. शारिरिक दोषः

(i) पिछले पैरों में लंगडापन 15–20 प्रतिशत छूट(गंभीरता के अनुसार)

ii) अन्य दोष होने पर 10–20 प्रतिशत की छूट

6. प्रजनन सम्बंधी समस्या

(i) प्रजनन सम्बंधित स्थायी बीमारी होने पर 80 प्रतिशत की छूट

ii) अनियमित प्रजनन की स्थिति में 5–10 प्रतिशत की छूट

23. इच्छुक निविदाकर्ता वित्तीय बोली के प्रारूप में दरें एवं अन्य जानकारी भरकर दिये गये पते पर प्रेषित करें।

24. इस संम्बन्ध मे संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा तथा ठेकेदार को मान्य होगा। अनुबन्ध की अवधि में ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की ओर से शर्तो का पूर्ण रूप से पालन नही किया गया या उसकी तरफ से किसी प्रकार का कोई व्यवधान महसूस किया गया तो अनुबन्ध अवधि से पूर्व समाप्त भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अमानत/जमानत राशि भी जब्त की जा सकती है।

25. संस्थान के निदेशक महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी एक या सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

28.08.2025

सहा. प्रशा. अधिकारी
(भंडार–भौतिक)
कृते निदेशक